लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावकः श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास (ब्लॉकः 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्याः 07/08/09/10/11) ग्राम–लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगुरी अंचलः बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला–गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 12.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2463/2023, dated 08.08.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 12.10.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 09.09.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा (ब्लॉकः 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्याः 07/08/09/10/11) ग्राम– लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचलः बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला–गया) के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नितीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री राकेश कुमार सिंह, पताः पीड़ासीन, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन से आमजनो को क्या लाभ मिलेगा इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा एवं साथ ही बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगा। इसप्रकार श्री राकेश कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री कौशल कुमार सिंह, पताः मिंगरी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धुल–कण की रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू

		परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री कौशल कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री सुमित कुमार सिंह, पताः मिंगरी, जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन होने पर स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार श्री सुमित कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री अजय कुमार शर्मा, पताः लारू जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू खनन होने पर स्थानीय नागरीको को रोजगार मिलने एवं सड़क खराब होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया एवं सुझाव दिया गया कि बालू खनन सरकार के नियमानुसार किया जाना चाहिए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा साथ ही बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मती लेसी द्वारा कराया जायेगा। साथ ही सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया। इसप्रकार श्री अजय कुमार शर्मा को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री रविशंकर प्रियदर्शी, पताः लारू जिलाः गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को कम दर पर बालू उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही किन्ही को बालू उपलब्ध कराया जायेगा। इसप्रकार श्री शिव कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री दिव्यांशु शेखर, पताः केदार बिगहा, लारू, जिलाः गया।	इनके द्वारा पर्यावरण में सुधार के लिए क्या निति है से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि **वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस–पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धुलकण का कुप्रभाव न हो। **जल प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की रोक–थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगाः**–लेसी के द्वारा पुराने वाहनो का संचालन नही करने का निदेश दिया गया एवं साथ ही तीव्र ध्वनि वाले हॉर्न का उपयोग नही करने का निदेश दिया गया। इन सभी कार्यो को करने से पर्यावरण पर कोई

		क्षति नही पुहॅचेगी तथा बालू खनन से सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसप्रकार श्री दिव्यांशु शेखर को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,
गया

31-10-23
अपर समाहर्त्ता,
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स बी के इंटरप्राइजेज, प्रस्तावकः श्री ब्रजेश कुमार तिवारी, पूर्वी मोहन बिगहा, डालमियानगर और शुभाष नगर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास (ब्लॉकः 45 (गया लीलाजन नदी बालू घाट सख्याः 07/08/09/10/11) ग्राम— लारू, पीड़ासीन, मंझौली, मखरौर, बहेरा भुरकुंडा, निगरी अंचलः बोधगया, बाराचट्टी, डोभी, जिला—गया) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 12.10.2023 को 03:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बोधगया, जिला—गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजनि कुमार	अपर समाहर्ता गया।	[signature] 12-10-23
2.	मनोज कुमार सिंह	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि० रा० प्र० नि० पर्षद, गया	[signature] 12-10-23
3.			
4.	नीतीश कुमार	Cognizance Research India Pvt. Ltd. Noida. (Env. Consultant)	Nitish Kr.
5.	Ashutosh kumar	Setlay	Ashutosh
6.	राकेश कुमार सिंह पिता स्व० रामकुमार सिंह	पिड़ासीन	Rakesh Kr. Singh
7.	अजीत कुमार सिंह श्री रामभजन सिंह	पिड़ासीन	[signature]
8.	मितेश कुमार सिंह पिता रविन्द्र कु सिंह	पिड़ासीन	मितेश कुमार

9.	अभिनंदन कुमार कुशवरी यादव	मंझौली	अभिनंदन कुमार
10.	प्रभात सिंह श्री कामेश्वर सिंह	पिड़ारीन	प्रभात सिंह
11.	मनोज कुमार यादव बालगोविन्द यादव	मंझौली	मनोज कुमार
12.	सिकन्दर कुमार कैलाश यादव	बहेरा मुरकुण्डा	सिकन्दर कुमार
13.	बिरेन्द्र यादव स्व० मोतु यादव	ग्राम निंगरी	बिरेन्द्र यादव
14.	कौशल कुमार सिंह	निंगरी	कौशल कुमार सिंह
15.	आनन्द मोहन सिंह	निंगरी	आनन्द मोहन सिंह
16.	पुरुषोत्तम कुमार विनोद सिंह	निंगरी	पुरुषोत्तम कुमार
17.	रामप्रवेश कुमार श्यामदेव यादव	मखरौर	रामप्रवेश कुमार
18.	विनय यादव स्व० हरी यादव	मखरौर	विनय यादव
19.	खेलावन यादव स्व० लक्ष्मण यादव	मखरौर	खेलावन यादव

20.	पवन कुमार स्व. कैलाश वा प्रसाद	(बहेरा मुकुन्दा)	पवन कुमार
21.	महेन्द्र यादव	मसैरा	महेन्द्र यादव
22.	लालु कुमार रामजु सिंह यादव	मखरौर	Lalu Kr
23.	सतेन्द्र कुमार नरेश यादव	मंझौली	[signature]
24.	प्रमोद कुमार नगेश्वर यादव	मंझौली	प्रमोद कुमार
25.	रवि शंकरप्रिय	लाडू	रवि शंकरप्रिय
26.	Himanshu SHekhar Ajay Kumar Sharma	लाडू	Himanshu SHekhar
27.	अजय कुमार शर्मा [illegible]	लाडू 9631276834	[signature]
28.	रामकेश्वर रविदास पिता श्री मुंगा रविदास	रतनी	रामकेश्वर रविदास
29.	रामजतन यादव पिता स्व. दशरथ यादव	बहेरा मुकुन्दा	Ramjatan yadav
30.			